न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीनअधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आर.एएस
प्रकरण संख्या डिकी 95 सन 2020
पंजीयन दिनांक 16.12.2020
दामला पिता खेतीया मृतक के बजाय–
देवजी पिता दामला मीणा निवासी–नाडअमलीफला तहसील धरियावदा तहसील प्रतापगढ ।

–अपीलांट

विरूद्व

1.दलिया मुत.वणजू बेवा भगला मीणा मृतक के बजाय–
1/मानीया पिता दलिया मीणा ।
1/2भेरूलाल पिता दलिया मीणा ।
1/3बाबरिया पिता दलिया मीणा ।
1/4 गुन्दीया पिता दलिया मीणा ।
1/5 लीम्बा पिता दलिया मीणा ।
1/6 मीला पिता दलिया मीणा ।
1/7लालूराम पिता दलिया मीणा ।
1/8चोखली विधवा दलिया मीणा ।
2.अर्जुन पिता खेतीया मीणा मृतक के बजाय–
2/1विरजी पिता अर्जुन मीणा ।
2/2 केसरिया पिता अर्जुन मीणा ।
2/3वागजी पिता अर्जुन मीणा ।
2/4मीठालाल पिता अर्जुन मीणा ।
2/5 लालकी विधवा अर्जुनमीणा ।
2/6 धनकी विधवा अर्जुन मीणा सभी निवासियान नाडअमलीफलां तहसील धरियावाद जिला–प्रतापगढ ।
3.राज्य जरिये तहसीलदार धरियावद जिला–प्रतापगढ ।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी धरियावद
प्रकरण संख्या 32/201 निर्णय दिनांक 19.12.2001

उपस्थित–श्री के.जी.झंवर–अधि.अपीलाटं
श्री सांवतश्रीमाली अधि.रेस्पो.1/1,1/2,1/4
श्री राजेन्द्रसिंह चौहान अधि.रेस्पो–2/1से 2/5
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज.अधिवक्ता

–0–

निर्णय दिनांक 21-1-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षैप मे इस प्रकार हैकि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी धरियावद के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 कीधारा–88,89,एवं 151 के अन्तर्गत ग्रम नाड तहसील धरियावद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 188,190,194,312,618ख,620ख,10/10, एवं 546/2 कुल किता–8 कुल रकबा 15.16 बीघा के सबंध में प्रस्तुत किया जो उपखण्डअधिकारी धरियावद दिनांक 19.12.2001 को वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का हिस्सेदार संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट/प्रतिवादी ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत हुई जिसके लिये धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकित कारण उचित होने से एवं न्यायाहित में उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है

वकील अपीलांट का कथनहे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी.में विहित कानूनी प्रावधानो की कोई पालना किसी भी प्रकार से नही की है प्रतिवादी को कोई नोटीस जारी नहीं किया गया व कोई जवाब एवं साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर भी नहीं मिला ।एवं अधीनस्थ न्यायालय में दावा ही अधुरा पेश हुआ है वाद पत्र भी साईक्लो स्टाईल में पेश हुआ है तथा वादपत्र की कालम संख्या 2 में सजरा खानदान अंकित ही नहीं हुआ है ।एवं अधीनस्थ न्यायालय मे भूमिधारी पक्षकार ही नही है इसके बावजूद भी भूमिधारी की रिपोर्ट पर वाद स्वीकार कर दिया जब कि यह प्रकरण सरकारी भूमि से सबधित नहीं है एवं प्रतिवादी दामला लम्बे समय से इसका खातेदार कास्तकार चला आ रहा है ।तथा वादीसंख्या–1 दलिया दावा पेश करने से लगभग पेतीस साल पूर्व ही भगला के गोद चला गया व मृतक भगला की विरासत में वादी संख्या–1 दलिया ने उसका नाम राजस्व रिकार्ड में स्वंय ने दिनोंक 2.2.1995 से ही दर्ज करवा दिया है इस प्रकार वादी संख्या–1 दलिया के पिता का नाम भगला अंकित हो चुका है फिर भी खेतीया का विरासत में वादी दलिया ने हिस्सा लेने हेतु वाद पेश किया जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है अंत में उन्होने अपील स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता हैकि विचारण न्यायालय ने बिना वैधनिक प्रकिया अपनाये रेस्पोडेन्ट वादी का वाद पत्र बिना दस्तावेजी सबूत के डिक्री कर दिया है जोन्यायोचित नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2001 निरस्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैकि वह उभयपक्षो को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुये विधिसंवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ